

महिला कल्याण एवं उत्थान में महात्मा गाँधी एवं डॉ. आम्बेडकर का वैचारिक और व्यवहारिक योगदान: एक विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन

शीतल मीणा (Ph.D शोधार्थी)

संकाय , इतिहास

शोध केंद्र ,शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (संबद्धता)

सारांश (ABSTRACT)

बीसवीं सदी का भारतीय पुनर्जागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सामाजिक पुनर्रचना और मानवीय गरिमा की पुनर्स्थापना का भी युग था। इस दौर में भारतीय समाज में सदियों से व्याप्त पितृसत्तात्मक कुरीतियों, लैंगिक विषमता और सामाजिक दासता के विरुद्ध जिन दो महान मनीषियों ने वैचारिक एवं व्यवहारिक क्रांति का बीड़ा उठाया, वे थे- राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी और आधुनिक भारत के निर्माता डॉ. भीमराव आम्बेडकर। प्रस्तुत शोध पत्र का मूल उद्देश्य महिला कल्याण, उत्थान और अधिकारिता के क्षेत्र में इन दोनों युगपुरुषों की दर्शनरात सोच, राजनीतिक पहलों और व्यवहारिक आंदोलनों का गहन विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना है। जहाँ महात्मा गाँधी ने महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन, नैतिक पुनरुत्थान, अहिंसात्मक सत्याग्रह और ग्राम स्वराज की मुख्यधारा से जोड़कर घर की चोरदीवारी से बाहर निकाला, वहीं डॉ. आम्बेडकर ने संवैधानिक गारंटी विधाई अधिकारों (विशेष) रूप से हिन्दू कोड बिल और अधिकार-चेतना के माध्यम से महिलाओं की कानूनी एवं सामाजिक दासता को समूल नष्ट करने का ऐतिहासिक प्रयास किया। प्रस्तुत अध्ययन में दोनों विचारकों के सही शिक्षा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, पर्दा प्रथा, देवदासी एवं वेश्यावृत्ति उन्मूलन, आर्थिक स्वावलंबन तथा राजनीतिक सहभागिता संबंधी विचारों का सविस्तार विश्लेषण किया गया है। अंततः यह शोध पत्र यह प्रतिपादित करता है कि साधनों और वैचारिक प्रस्थान बिन्दुओं में भिन्नता के बावजूद, दोनों विचारकों का अंतिम साध्य एक ही था-भारतीय महिला को पूर्ण स्वतंत्रता, समानता और मानवीय गरिमा प्रदान करना।

मुख्य शब्द (Keywords): महिला सशक्तिकरण महात्मा गाँधी डॉ भीमराव आम्बेडकर हिन्दू क्रोड बिल, सत्याग्रह, स्त्री शिक्षा सामाजिक सुधार, लिंग समानता, स्वाधीनता आंदोलन।

1. प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि (INTRODUCTION & HISTORICAL CONTEXT)

भारतीय इतिहास के पन्नों में 20वीं सदी सामाजिक और राजनीतिक क्रांतियों का एक अभूतपूर्व युग सिद्ध हुई। पारंपरिक भारतीय समाज सदियों से रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, और कठोर पितृसत्तात्मक ढाँचों के बोझ तले दबा हुआ था। इस सामाजिक संरचना का सबसे बुरा प्रभाव समाज के आधे हिस्से- अर्थात् महिलाओं पर पड़ा। बाल-विवाह, पर्दा-प्रथा, सती-प्रथा, वैधव्य की विभीषिका, अशिक्षा, सम्पत्ति के अधिकारों से वंचना और सामाजिक बेगार जैसी कुरीतियों ने महिलाओं को केवल उपभोग और दासता की वस्तु बनाकर रख दिया

था। भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति न केवल दोयम दर्जे की थी, बल्कि दलित एवं शोषित वर्ग की महिलाओं के लिए यह संकट दोहरी-तिहरी दासता के रूप में प्रकट होता था।

इस विषम सामाजिक परिस्थिति में भारत के दो महान विचारकों और समाज सुधारकों- महात्मा गाँधी एवं डॉ. भीमराव आम्बेडकर - ने भारतीय सामाजिक पटल पर एक नई वैचारिक क्रांति का शंखनाद किया। दोनों विचारकों ने यह भली-भाँति समझ लिया था कि जब तक समाज की आधी आबादी - महिलाएँ- मुक्त, शिक्षित और अधिकार संपन्न नहीं होंगी, तब तक न तो वास्तविक स्वतंत्रता (स्वराज) प्राप्त की जा सकती है और न ही एक न्यायपूर्ण, समतामूलक समाज का निर्माण संभव है।

1920 से 1947 तक का काल भारतीय स्वाधीनता संग्राम में 'गाँधी युग' के नाम से जाना जाता है। गाँधीजी ने स्वाधीनता संग्राम को केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे सामाजिक पुनरुद्धार और 'रचनात्मक कार्यक्रमों' से जोड़ा। उन्होंने भारत की करोड़ों महिलाओं को घर की चारदीवारी और पर्दे की ओट से बाहर निकालकर राष्ट्रीय आंदोलनों, सत्याग्रहों, नशाबंदी अभियानों और खादी आंदोलन में अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया।

दूसरी ओर, डॉ. भीमराव आम्बेडकर, जिन्होंने स्वयं सामाजिक विषमता और छुआछूत के दंश को झेला था, ने महिलाओं के अधिकारों को कानूनी, संवैधानिक और संरचनात्मक धरातल पर प्रतिष्ठित करने का महान कार्य किया। आम्बेडकर का स्पष्ट मानना था कि किसी समाज की प्रगति का आकलन इस बात से किया जाना चाहिए कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। उन्होंने महाद सत्याग्रह से लेकर संविधान सभा और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में 'हिन्दू कोड बिल' के ऐतिहासिक मसौदे तक, महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और कानूनी स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व संघर्ष किया।

2. अध्ययन का उद्देश्य एवं शोध कार्यप्रणाली (OBJECTIVES & METHODOLOGY)

प्रस्तुत शोध पत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक ऐतिहासिक स्रोतों, भाषणों, समकालीन लेखों, पत्र-पत्रिकाओं (यंग इंडिया, हरिजन, जनता आदि) तथा आधिकारिक दस्तावेजों के प्रामाणिक विश्लेषण पर आधारित है।

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- महात्मा गाँधी द्वारा महिला कल्याण, स्त्री-शिक्षा, नैतिक जागृति और स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता हेतु किए गए वैचारिक एवं व्यवहारिक प्रयासों का विशद अध्ययन करना।
- डॉ. भीमराव आम्बेडकर के महिला अधिकारिता, संवैधानिक प्रावधानों, दलित महिला चेतना और 'हिन्दू कोड बिल' संबंधी दूरदर्शी योगदानों का सूक्ष्म विश्लेषण करना।
- महात्मा गाँधी और डॉ. आम्बेडकर की वैचारिक दृष्टि, दृष्टिकोण (व्यावहारिक सुधारवादी बनाम संवैधानिक संरचनात्मक) और कार्यपद्धतियों का तुलनात्मक मूल्यांकन करना।
- समकालीन भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में दोनों विचारकों की अप्रासंगिकताओं और प्रासंगिकता की विवेचना करना।

3. महात्मा गाँधी के नारी कल्याण एवं उत्थान हेतु वैचारिक एवं व्यवहारिक प्रयास

3.1. महात्मा गाँधी का स्त्री-दर्शन और मूल मान्यताएँ

महात्मा गाँधी का स्त्री-विषयक दृष्टिकोण भारतीय दर्शन, नैतिक मूल्यों और व्यवहारिक यथार्थवाद का एक अद्भुत मेल था। गाँधीजी ने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि वे पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों के मामले में किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं कर सकते। यंग इंडिया में उन्होंने लिखा:

"तुम औरतों को चार दीवारी में कैद करने के बजाय, उन्हें तरक्की का मौका दो, उसके व्यक्तित्व के विकास की भूमि तैयार करो, देश के विकास में देर नहीं लगेगी।"

— यंग इंडिया, 1931

गाँधीजी की दृष्टि में पुरुष और स्त्री एक-दूसरे के पूरक (Complementary) हैं। दोनों का अस्तित्व एक-दूसरे के बिना अधूरा है। उन्होंने भाषाशास्त्र का तर्क देते हुए कहा था कि यदि भाषा घोषित करती है कि महिला पुरुष की अर्धांगिनी है, तो इसी तर्क के अनुसार पुरुष भी महिला का अर्धांग है। गाँधीजी शारीरिक बनावट और लिंग-भेद को कार्यों के अंतर का आधार तो मानते थे, परंतु इसके आधार पर किसी भी प्रकार के सामाजिक या कानूनी स्तर-भेद के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शारीरिक बल में भले ही स्त्री पुरुष से अलग दिखे, परंतु नैतिक बल, सहनशीलता, त्याग और आत्म-समर्पण की क्षमता में वह पुरुष से कहीं आगे है।

3.2. अहिंसा, सत्याग्रह और नारी की नैतिक नेतृत्वकारी भूमिका

गाँधीजी का एक अत्यंत मौलिक विचार यह था कि स्त्री स्वभाव से ही अहिंसा की साक्षात अवतार (Incarnation of Non-violence) है। अहिंसा का अर्थ है असीम प्रेम और असीम सहनशीलता। एक माँ के रूप में नौ महीने तक गर्भ में शिशु को धारण करने और उसका पालन-पोषण करने में जो कष्ट स्त्री सहती है, वह उसकी अपार सहनशक्ति का प्रमाण है। गाँधीजी का विश्वास था कि यदि इस प्रेम और सहनशीलता को संपूर्ण मानवता की ओर मोड़ दिया जाए, तो महिलाएँ अहिंसक सत्याग्रह की स्वाभाविक नेता बन सकती हैं।

इसी वैचारिक धरातल पर गाँधीजी ने महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन का 'अगुवादस्ता' बनाया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रहों (1906 के बाद) के दौरान ही स्त्रियों की इस असीम शक्ति को पहचान लिया था, जहाँ उनकी पत्नी कस्तूरबा और अन्य महिलाओं ने कठोर कारावास और यातनाएँ बिना किसी शिकायत के सही थीं।

3.3. प्रमुख सामाजिक कुरीतियों का विरोध

गाँधीजी ने भारतीय समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों के विरुद्ध प्रखर वैचारिक और व्यवहारिक युद्ध छेड़ा:

- **बाल-विवाह का उन्मूलन:** गाँधीजी बाल-विवाह को भारत का "कुष्ठ रोग" मानते थे। उनका कहना था कि जो बालिका गोद में बैठने लायक हो, उसे पत्नी बना लेना अधर्म की पराकाष्ठा है। उन्होंने विवाह की न्यूनतम आयु कम से कम 16 से 20 वर्ष करने की वकालत की। उन्होंने राय साहब हरविलास शारदा के बाल-विवाह विरोधी अधिनियम में विवाह योग्य आयु बढ़ाने का पूर्ण समर्थन किया।
- **पर्दा-प्रथा का विरोध:** गाँधीजी की दृष्टि में पर्दा-प्रथा स्त्री के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सबसे बड़ी बाधा थी। उन्होंने तर्क दिया कि चरित्र की पवित्रता बंद कमरे या पर्दे की ओट से पैदा नहीं होती, बल्कि यह आंतरिक चेतना का विषय है। उन्होंने बिहार और संपूर्ण देश में महिलाओं द्वारा पर्दा-प्रथा के खिलाफ चलाए गए आंदोलनों का जोरदार समर्थन किया।
- **वैधव्य और विधवा पुनर्विवाह:** बाल-विधवाओं की दयनीय स्थिति पर दुख व्यक्त करते हुए गाँधीजी ने कहा कि 15 वर्ष से कम आयु में विधवा हुई बालिकाओं का विवाह ही नहीं माना जाना चाहिए और समाज को उनके पुनर्विवाह को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि 50 वर्ष का विधुर पुरुष पुनर्विवाह कर सकता है, तो उसी उम्र की विधवा स्त्री को भी पुनर्विवाह का पूरा अधिकार होना चाहिए।
- **दहेज प्रथा एवं आभूषण मोह पर प्रहार:** गाँधीजी ने दहेज-युक्त विवाहों को 'खरीदा गया विवाह' कहा। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे दहेज लोभी परिवारों में विवाह करने से इंकार कर दें। इसके साथ ही, गाँधीजी ने महिलाओं के आभूषण-मोह को मानसिक गुलामी का प्रतीक बताया। उनका मानना था कि सोने-चांदी के गहने देश की पूंजी को ब्लॉक करते हैं और महिलाओं को बाह्य प्रलोभन में बांधकर रखते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उन्होंने महिलाओं को अपने गहने राष्ट्र-सेवा हेतु दान करने की प्रेरणा दी।
- **देवदासी प्रथा एवं वेश्यावृत्ति का विरोध:** गाँधीजी ने धार्मिक वेश्यावृत्ति और देवदासी प्रथा को समूल नष्ट करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पुरुषों की वासना के कारण महिलाओं को नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उन्होंने ऐसी पीड़ित बहनों को आर्थिक आत्मनिर्भरता हेतु चरखा चलाने और गृह-उद्योग अपनाने की सलाह दी।

3.4. स्त्री शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता

गाँधीजी निरक्षरता को समाज की समस्त बुराइयों की जड़ मानते थे। उन्होंने शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए एक प्रसिद्ध विचार दिया:

"यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो वह केवल व्यक्तिगत रूप से शिक्षित होता है, परंतु यदि एक महिला शिक्षित होती है तो संपूर्ण परिवार शिक्षित माना जाता है।"

— गाँधी, 1945

गाँधीजी केवल किताबी ज्ञान या अक्षर ज्ञान के पक्षधर नहीं थे, बल्कि वे ऐसी 'नई तालीम' या प्रौढ़ शिक्षा चाहते थे जो जीवन के लिए हो (Education for Life)। उन्होंने 7 से 14 वर्ष के बच्चों और बालिकाओं के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का समर्थन किया।

आर्थिक क्षेत्र में गाँधीजी महिलाओं को स्वावलंबी देखना चाहते थे। उनकी प्रेरणा से 1920 में अहमदाबाद में 'टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन' (TLA) तथा मृदुला साराभाई द्वारा 'ज्योति संघ' जैसी ऐतिहासिक संस्थाओं की स्थापना हुई। ज्योति संघ का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास जगाना, उन्हें कुटीर एवं गृह उद्योगों (चरखा कताई, सिलाई, बुनाई) का प्रशिक्षण देना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था।

3.5. राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का अभूतपूर्व आह्वान

गाँधीजी का सबसे बड़ा ऐतिहासिक योगदान यह था कि उन्होंने स्वाधीनता संग्राम को जन-आंदोलन बनाते हुए उसमें महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी सुनिश्चित की। 1920-22 के असहयोग आंदोलन, 1930 के नमक सत्याग्रह (दांडी मार्च), 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में लाखों महिलाओं ने जेल की यातनाएँ सहੀं।

दांडी यात्रा के समय गाँधीजी ने सरोजिनी नायडू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और महिलाओं से जोखिम उठाने की अपील की। सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, बसंती देवी, उर्मिला देवी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख और सुचेता कृपलानी जैसी महान नेत्रियों से लेकर साधारण ग्रामीण और शहरी महिलाओं ने शराब की दुकानों पर धरने दिए, विदेशी वस्त्रों की होलियाँ जलाई और प्रभात फेरियाँ निकालीं। 1930 के आंदोलन में केवल दिल्ली में ही 1600 से अधिक महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। एक विदेशी पत्रकार ने इस दृश्य को देखकर टिप्पणी की थी कि यदि इस आंदोलन से भारत को केवल महिलाओं की स्वतंत्रता ही प्राप्त हुई हो, तो भी यह आंदोलन पूर्णतः सफल माना जाएगा।

4. डॉ. भीमराव आम्बेडकर के नारी कल्याण एवं उत्थान हेतु वैचारिक एवं व्यवहारिक प्रयास

4.1. डॉ. आम्बेडकर का नारी-चिंतन और सामाजिक प्रगति का मापदण्ड

डॉ. भीमराव आम्बेडकर की सामाजिक दृष्टि वैज्ञानिक, न्याय-निष्ठ और मानवाधिकारों पर आधारित थी। आम्बेडकर का दृढ़ विश्वास था कि जब तक समाज की नारी व्यवस्थागत उत्पीड़न और दासता से मुक्त नहीं होगी, तब तक संपूर्ण समाज का उत्थान असंभव है। उनका एक अमर कथन है:

"मैं किसी समाज की प्रगति का मापन उस समाज की महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति के परिमाण से करता हूँ।"

— डॉ. आम्बेडकर, 1927

डॉ. आम्बेडकर ने पारंपरिक हिन्दू शास्त्र-सम्मत व्यवस्था (विशेष रूप से मनुस्मृति) का कड़ा विश्लेषण किया और यह प्रतिपादित किया कि इस पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था ने शूद्रों और नारियों- दोनों को ही सम्पत्ति, शिक्षा और स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित कर दासता के गर्त में धकेला। इसलिए आम्बेडकर का लक्ष्य केवल नैतिक सुधार नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था का कानूनी एवं संरचनात्मक पुनर्गठन करना था।

4.2. जन-आंदोलनों और सत्याग्रहों में दलित महिलाओं को नेतृत्व

डॉ. आम्बेडकर ने दलितों और शोषितों के मुक्ति संग्राम की शुरुआत से ही महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष भागीदार बनाया। 19-20 मार्च 1927 को ऐतिहासिक 'महाद चौबदार तालाब सत्याग्रह' के दौरान आम्बेडकर ने दलित महिलाओं को विशेष रूप से संबोधित करते हुए कहा:

"तुम्हारी कोख से जन्म लेना आज पाप समझा जाता है। तुम हमारी माँ और बहनें हो, हमें अगर हीन समझा जाता है तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? समाज में तुम्हें जो कष्ट भोगने पड़ रहे हैं उन्हें तुम स्वयं जानती हो, अतः तुम्हें तय करना है कि इस संघर्ष में भाग लेना है या नहीं, क्योंकि संघर्ष के बिना अधिकार प्राप्त नहीं होते।"

— महाद सत्याग्रह, 1927

आम्बेडकर के इस आह्वान का अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा। महाद सत्याग्रह, नासिक का कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन (1930), तथा पूना, कानपुर, लखनऊ व मद्रास के भूमिहीन किसानों के आंदोलनों में हजारों दलित महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया और लाठियाँ-जेल सही। इन आंदोलनों से शांताबाई दाणी, गीताबाई गायकवाड़ और मनोबल शिवराज जैसी प्रखर महिला नेत्रियों का उभार हुआ।

4.3. दलित महिला सम्मेलनों में आत्म-सम्मान और स्वाभिमान का संदेश

20 जुलाई 1942 को नागपुर में आयोजित 'अखिल भारतीय दलित महिला अधिवेशन' में 20,000 से अधिक महिलाओं की विशाल उपस्थिति को संबोधित करते हुए बाबा साहेब ने महिलाओं को जीवन-शैली और स्वाभिमान में बदलाव के क्रांतिकारी सुझाव दिए:

- **स्वच्छता और दुराचार मुक्ति:** उन्होंने महिलाओं से कहा कि वे गंदे रीति-रिवाजों का त्याग करें, स्वच्छता से रहें और सभी दुराचारों से दूर रहें।
- **बच्चों की उच्च शिक्षा:** आम्बेडकर ने महिलाओं से अपील की कि वे अपने बच्चों (पुत्र व पुत्री दोनों) को शिक्षित करें और उनके मन से हीनता की भावना को निकालकर 'महान बनने' का संकल्प भरें।

- **कुटुंब नियोजन और विवाह की सही धारणा:** उन्होंने सलाह दी कि कम उम्र में विवाह न करें। विवाह एक बड़ा आर्थिक दायित्व है, अतः जब तक बच्चे आत्मनिर्भर न हों, विवाह न थोपें। अधिक संतान पैदा करने को उन्होंने अपराध बताया और सीमित परिवार (कुटुंब नियोजन) पर बल दिया।
- **पति-पत्नी में समता का दावा:** आम्बेडकर ने ऐतिहासिक आह्वान किया कि "जो लड़की शादी करती है, वह अपने पति के समकक्ष खड़ी हो, उससे बराबरी और मित्रता का दावा करे और उसकी दासी बनने से साफ इंकार कर दे।"

4.4. श्रम क्षेत्र, प्रसूति लाभ और मताधिकार हेतु विधार्थ प्रयास

बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में डॉ. आम्बेडकर ने कामकाजी महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु ऐतिहासिक विधार्थ कदम उठाए:

बॉम्बे प्रसूति लाभ विधेयक (Bombay Maternity Benefit Bill, 1928)

28 जुलाई 1928 को बॉम्बे विधान परिषद में प्रसूति लाभ विधेयक पर बहस के दौरान जब कुछ रूढ़िवादी सदस्यों ने नियोक्ताओं (मील मालिकों) पर वित्तीय बोझ का विरोध किया, तब डॉ. आम्बेडकर ने महिलाओं के पक्ष में ज़ोरदार तर्क दिया। उन्होंने कहा कि प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात जच्चा-बच्चा को विश्राम देना राष्ट्रहित में है। कारखानों में कठिन परिश्रम करने वाली गरीब महिलाओं को प्रसूति अवकाश और वित्तीय सहायता पाना उनका मानवीय अधिकार है, और इसकी जिम्मेदारी सरकार व नियोक्ताओं दोनों को उठानी चाहिए।

इसके अलावा, फ्रैंचाइज़ सब-कमेटी (गोलमेज सम्मेलन, 22 दिसंबर 1930) के दौरान डॉ. आम्बेडकर ने पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं को भी 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' (Universal Adult Suffrage) देने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि मताधिकार प्रशासनिक सुविधा की चीज़ नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का जन्मजात अधिकार है।

4.5. भारतीय संविधान और 'हिन्दू कोड बिल' का ऐतिहासिक अध्याय

स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में डॉ. आम्बेडकर की भूमिका स्वर्णिम रही। संविधान के मूल अधिकारों (अनुच्छेद 14, 15, 16) के तहत लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया तथा महिलाओं को विधि के समक्ष समता और अवसरों की समानता दी गई। अनुच्छेद 23 द्वारा महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार (Trafficking) तथा बेगार पर प्रतिबंध लगाया गया।

परंतु डॉ. आम्बेडकर जानते थे कि केवल राजनीतिक और संवैधानिक अधिकार कागजी साबित होंगे जब तक कि पारिवारिक और नागरिक कानूनों (Civil Laws) में सुधार न हो। इसी दूरगामी सोच के साथ स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में डॉ. आम्बेडकर ने 5 फरवरी 1951 को संसद में ऐतिहासिक 'हिन्दू कोड बिल' (Hindu Code Bill) प्रस्तुत किया।

हिन्दू कोड बिल की मुख्य क्रांतिकारी विशेषताएँ थीं:

- **1. बहुपत्नीत्व की समाप्ति एवं एक-विवाह अनिवार्य:** पुरुषों के बहुपत्नीत्व अधिकार को समाप्त कर केवल एक-विवाह (Monogamy) को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया गया।
- **2. तलाक का अधिकार (Right to Divorce):** वैवाहिक जीवन के असफल या दर्दनाक होने पर महिलाओं को पुरुषों के समान विवाह-विच्छेद (तलाक) और भरण-पोषण (Alimony) प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया।
- **3. सम्पत्ति में समान अधिकार:** पुत्री, पत्नी और माँ के रूप में महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में पुरुषों के बराबर हिस्सा देने का प्रावधान किया गया।
- **4. गोद लेने (Adoption) व अंतर्जातीय विवाह की स्वतंत्रता:** महिलाओं को बच्चा गोद लेने और अंतर्जातीय विवाह करने का कानूनी अधिकार दिया गया।

संसद के भीतर और बाहर सनातनी व रूढ़िवादी ताकतों ने इस बिल का उग्र विरोध किया। डॉ. आम्बेडकर ने संसद में निर्भीकता से उत्तर दिया:

"हिन्दू समाज अन्य किसी बात को स्वीकार कर लेगा, लेकिन अपनी सामाजिक संरचना में शूद्रों और नारियों की दासता में परिवर्तन करने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। इसीलिए कानून को आगे आना चाहिए... वर्ग-वर्ग और लिंग-लिंग के बीच असमानता को दूर किए बिना आर्थिक कानून बनाना गोबर के ढेर पर महल बनाने के समान है।"

— डॉ. आम्बेडकर, संसद भाषण, 1951

राजनीतिक दबाव और आम सहमति न बन पाने के कारण जब नेहरू सरकार ने इस बिल को स्थगित कर दिया, तो डॉ. आम्बेडकर ने महिला अधिकारों के प्रश्न पर अपने कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया (27 सितंबर 1951)। यह भारतीय इतिहास में सिद्धांतों और महिला गरिमा के लिए दिया गया एक अभूतपूर्व त्यागपत्र था। कालांतर में (1955-56 में) इसी हिन्दू कोड बिल को चार अलग-अलग अधिनियमों (हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, हिन्दू दत्तक व भरण-पोषण अधिनियम आदि) के रूप में पारित करना पड़ा, जिसने भारतीय नारी के मुक्ति मार्ग को प्रशस्त किया।

5. महात्मा गाँधी एवं डॉ. आम्बेडकर का तुलनात्मक अध्ययन (COMPARATIVE ANALYSIS)

महात्मा गाँधी और डॉ. भीमराव आम्बेडकर दोनों ही भारतीय इतिहास के ऐसे ध्रुवतारे हैं जिन्होंने महिला मुक्ति की दिशा में अपनी-अपनी पद्धतियों से अद्वितीय योगदान दिया। जहाँ दोनों का अंतिम लक्ष्य (साध्य) महिला उत्थान, समानता और मानव गरिमा था; वही उनके साधनों, वैचारिक धरातल और रणनीतियों में कुछ मौलिक अंतर भी दिखाई देते हैं।

तुलना का बिंदु	महात्मा गाँधी की दृष्टि एवं कार्यपद्धति	डॉ. भीमराव आम्बेडकर की दृष्टि एवं कार्यपद्धति
मूल धरातल	नैतिक पुनरुत्थान, हृदय परिवर्तन, आत्म-संयम, सनातन मूल्यों का परिष्कार तथा ग्राम स्वराज	संवैधानिक गारंटी, मानवाधिकार, कानून का शासन, सामाजिक पुनर्रचना और व्यवस्थागत परिवर्तन
नारी की सामाजिक भूमिका	नारी को अहिंसा, त्याग, सेवा और नैतिक नेतृत्व का अवतार माना; घर और समाज में पूरक भूमिका पर बल।	नारी को स्वतंत्र नागरिक, अधिकार-संपन्न और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली लड़ाकू इकाई माना।
मुक्ति का मुख्य साधन	सत्याग्रह, रचनात्मक कार्यक्रम, स्वाधीनता आंदोलन में भागीदारी, चरखा व आर्थिक स्वावलंबन।	शिक्षा, संगठन, राजनीतिक अधिकार, कानूनी व संवैधानिक संशोधन (उदा. हिन्दू कोड बिल)।
पारंपरिक ग्रंथों पर दृष्टिकोण	शास्त्रों के कुरीति-पोषक अंशों को अस्वीकार किया, परंतु वैदिक कालीन आदर्श नारी रूप का समर्थन किया।	मनुस्मृति आदि पारंपरिक ग्रंथों की कड़ी समीक्षा की तथा सामाजिक विषमता के स्रोत के रूप में उनका पूर्ण त्याग किया।
दलित एवं पीड़ित महिलाएँ	उन्हें 'हरिजन' बहनों के रूप में देखा और उच्च जातियों के हृदय परिवर्तन द्वारा उनके उद्धार पर बल दिया।	दलित महिलाओं में स्व-चेतना, स्वाभिमान, शिक्षा और पुरुषों से बराबरी का दावा करने का प्रत्यक्ष आह्वान किया।
विवाह एवं सम्पत्ति	विवाह को धार्मिक-सामाजिक संस्कार माना; बेमेल विवाह व बाल-विवाह का विरोध किया।	विवाह को अनुबंध/समकक्ष साझेदारी माना; कानूनी तलाक और सम्पत्ति में बेदखली के खिलाफ कड़े कानून बनाए।

5.1. वैचारिक समानताएँ (Points of Convergence)

- 1. **स्त्री-शिक्षा का पूर्ण समर्थन:** दोनों विचारकों ने सर्वसम्मति से माना कि अशिक्षा ही नारी की पराधीनता का मूल कारण है। दोनों ने बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिक शर्त माना।
- 2. **बाल-विवाह का विरोध एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन:** दोनों नेताओं ने बाल-विवाह को अमानवीय व सामाजिक पाप बताया तथा विधवाओं के पुनर्विवाह का पूर्ण समर्थन किया।
- 3. **वेश्यावृत्ति एवं देवदासी प्रथा पर सुधारवादी दृष्टिकोण:** दोनों ने वेश्यावृत्ति के लिए महिला से अधिक पुरुष प्रधान समाज की वासना और आर्थिक लाचारी को उत्तरदायी माना और उनके पुनर्वास व सम्मानजनक जीवन पर बल दिया।

- **4. राजनीतिक सहभागिता:** गाँधीजी ने महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम व मताधिकार से जोड़ा, तो आम्बेडकर ने संविधान सभा व विधार्थ संस्थाओं के माध्यम से उनके राजनीतिक अधिकारों की नींव रखी।

5.2. दृष्टिकोणों में भिन्नता (Points of Divergence)

मुख्य अंतर कार्यपद्धति में था। गाँधीजी का मानना था कि कानून केवल बाहरी ढाँचा बदल सकता है, वास्तविक परिवर्तन समाज के 'हृदय परिवर्तन' और नैतिक आत्म-शुद्धि से आएगा। इसके विपरीत, डॉ. आम्बेडकर का तर्क था कि सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी सामाजिक संरचना बिना कड़े संवैधानिक कानूनों और राज्यीय हस्तक्षेप के नहीं बदली जा सकती। आम्बेडकर कानून को सामाजिक क्रांति का सबसे सशक्त उपकरण मानते थे।

6. निष्कर्ष एवं समकालीन प्रासंगिकता (CONCLUSION)

महिला कल्याण, उत्थान और सशक्तिकरण के इतिहास में महात्मा गाँधी और डॉ. भीमराव आम्बेडकर का योगदान आधारशिला के समान है। दोनों विचारकों ने अपने-अपने कालखंड में वैचारिक और व्यवहारिक क्रांति की जो मशाल जलाई, उसी का परिणाम है कि आज आधुनिक भारत में महिलाएँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र- शिक्षा, राजनीति, न्यायपालिका, प्रशासन, रक्षा और अंतरिक्ष विज्ञान- में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं।

जहाँ महात्मा गाँधी ने महिलाओं को जन-आंदोलनों से जोड़कर उनके भीतर छिपी आत्म-शक्ति, साहस और नैतिक बल का अहसास कराया और उन्हें स्वाधीनता संग्राम की अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा किया; वहीं डॉ. आम्बेडकर ने कानून और संविधान की ढाल प्रदान करके उन्हें सदियों पुरानी सामाजिक व कानूनी दासता से मुक्त कराया। आम्बेडकर का हिन्दू कोड बिल और संविधान के समान अधिकार भारतीय महिलाओं के लिए 'मुक्ति का घोषणापत्र' सिद्ध हुए।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि महात्मा गाँधी की व्यवहारिक चेतना और डॉ. आम्बेडकर का संवैधानिक दूरदर्शन एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। 21वीं सदी के समकालीन भारत में जब हम लैंगिक हिंसा, भ्रूणहत्या, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और वैतनिक विषमता जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तब गाँधीजी का नैतिक-आत्मबल का संदेश और आम्बेडकर का "शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो" तथा कानूनी अधिकारों का मार्ग- दोनों ही हमारे लिए प्रकाशस्तंभ की भांति मार्गदर्शक बने हुए हैं।

7. संदर्भ ग्रंथ सूची (REFERENCES & BIBLIOGRAPHY)

1. आम्बेडकर, बी. आर. (1979). डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर: राइटिंग्स एंड स्पीचेस (खण्ड 1 से 17). शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, बॉम्बे।
2. गाँधी, एम. के. (1927). यंग इंडिया (1919-1931 के अंक) नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद।

3. गाँधी, एम. के. (1933). हरिजन (1933-1946 के अंक). नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद।
4. गाँधी, एम. के. (1942). विमेन एंड सोशल इनजस्टिस (Women and Social Injustice). नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद।
5. जाटव, डी. आर. (1988). डॉ. आम्बेडकर का सामाजिक दर्शन. समता साहित्य प्रकाशन, जयपुर।
6. देसाई, नीरा (1982). भारतीय समाज में नारी (Women in Modern India). वोरा एंड कंपनी, मुंबई।
7. किश्वर, मधु (1985). गाँधी एंड विमेन (Gandhi and Women). मानुषी प्रकाशन, नई दिल्ली।
8. अग्रवाल, चंद्र मोहन (2005). नारी व समाज: ऐतिहासिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य. आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर।
9. भार्गव, वी. एस. (2002). भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं सामाजिक आंदोलन. कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।
10. माहेश्वरी, अविनाश (2010). महिला अधिकार, कानून एवं सामाजिक परिवर्तन. राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
11. श्रीवास्तव, सुधारानी (2008). महिला शोषण और मानवाधिकार. अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
12. सिंह, गोपाल राम (1995). डॉ. आम्बेडकर का विचार दर्शन एवं दलित आंदोलन. गौतम बुक सेंटर, दिल्ली।
13. बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट्स (1928). प्रसूति लाभ विधेयक पर बहस (खंड 23). सरकारी मुद्रणालय, बॉम्बे।
14. भारत की संसद (1951). हिन्दू कोड बिल पर बहस एवं भाषण (अभिभाषण खण्ड 5). लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।